न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 662 / 2024

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण: 1 करनाराम पुत्र कौलाराम 2 पीराराम पुत्र कौलाराम 3 भोमाराम पुत्र कौलाराम 4 राणाराम पुत्र कौलाराम 5 कसुम्बीदेवी पत्नी मुकनाराम 6 किस्ताराम पुत्र पोकरराम 7 खेराजराम पुत्र आईदानराम 8 गुमनाराम पुत्र खेमाराम 9 गोमदाराम पुत्र गंगाराम 10 जेठाराम पुत्र मुकनाराम 11 तेजाराम पुत्र मेहराराम 12 दुर्गा पत्नी सांगाराम 13 नेनू पत्नी खेमाराम 14 बागाराम दत्तक पुत्र खरताराम 15 बीराराम पुत्र गंगाराम 16 भूराराम पुत्र पोकराराम 17 मगी पुत्री खेमाराम 18 मूलाराम पुत्र खेमाराम 19 मालूदेवी पत्नी पोकराराम 20 मोडाराम पुत्र खेमाराम 21 रामाराम पुत्र कानाराम 22 सांगाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी रामपुरा बाटाडू तहसील बाटाडू।

अप्रार्थीगण: 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाटाडू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री नारायण कुमावत, वकील प्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 11.02.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत मौजा रामपुरा पटवार हल्का बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1696 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, 1774 / 1729 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, 1775 / 1729 रकबा 25.5413 हैक्टेयर, 1776 / 1729 रकबा 9.0839 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1769 / 1700 रकबा 33.5149 हैक्टेयर खसरा संख्या 1768 / 1700 रकबा 0.0647 खसरा संख्या 1770 / 1700 रकबा 1.3692 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है जो भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पक्षकारन की संयुक्त आराजी थी जो मूल खसरा संख्या 1700 से विभक्त हुई है। मूल खसरसरा संख्या 1700 का तत्कालीन खातेदारान द्वारा न्यायालय श्रीमान सहायक जिलाधीश, बाड़मेर के समक्ष वाद पेश किया गया। उक्त वाद प्रकरण सं... / 1977 पर दर्ज होकर दिनांक— 02.02. 1980 को निर्णय व डिक्री पारित ... गया। उक्त विभाजन निर्णय व डिक्री की पालना में ना... अनुसार तरमीम कायम की गई। लट्ठा ट्रेस नक्शा में भी तरमीम कर दी गई प्रार्थीगण मौ...र उसी अनुसार काबिज ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:14:05 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवादित आराजी में से रास्ता कायम करवाया गया। रास्ता कायम करने से प्रार्थी संख्या 01 से 04 के खसरा संख्या 1696 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1774 / 1729 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1775 / 1729 रकबा 25.5413 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

खसरा संख्या 1776/1729 रकबा 9.0839 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 05 से 22 के खसरा संख्या 1769/1700 रकबा 33.5149 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1768/1700 रकबा 0.0647 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1770/1700 रकबा 1.3692 हैक्टेयर नये संधारित किये गये।

वर्तमान में सेग्रीगेशन के समय नक्शा की तरमीम तो सही कर दी गई लेकिन नक्शा में खसरा संख्या गलत अंकित किये गये। प्रार्थी संख्या 01 से 04 के नक्शा में प्रार्थी संख्या 05 से 22 के खसरा नंबर व प्रार्थी संख्या 05 से 22 के नक्शा में प्रार्थी संख्या 01 से 04 के खसरा नंबर अंकित किये जिसे सेग्रीगेशन से पूर्व की तरमीम अनुसार दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाटाडू से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार बाटाडू ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/1136 दिनांक 31.12.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का बाटाडू तहसील बाटाडू कि प्रार्थीगण के लट्ठा ट्रेस में खसरा संख्या 1700 के स्थान पर दौराने सेग्रीगेशन खसरा संख्या 1729/1700 एवं खसरा संख्या 1729/1700 के स्थान पर खसरा संख्या 1700 अशुद्ध प्रदर्शित पाया गया एवं मौके पर लट्ठा ट्रेस में दर्ज तरमीम अनुसार कब्जा पाया गया। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1700, 1729/1700 एवं 1730/1700 का विभाजन न्यायालय सहायक जिलाधीश बाड़मेर राजस्व वाद संख्या 193/77 के फैसला दिनांक– 02.02.1980 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 953 के अनुसार किया गया। उक्त नामान्तरकरण की परत के पीछे की तरमीम भी लट्ठा ट्रेस में दर्ज तरमीम अनुसार की गई है। प्रार्थीगण को उक्त अशुद्ध तरमीम की जानकारी नहीं होने के कारण कदीमी रास्ते हेतु श्रीमान् प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 बायतु के आदेश कमांक राजस्व/2022/1297–1298 दिनांक 30.06.2022 एवं श्रीमान् तहसीलदार बायतु के आदेश कमांक राजस्व/336 दिनांक 01.07.2022 की पालना में ग्राम रामपुरा के नामान्तरकरण संख्या 196 दायर कर करनाराम वगैरह के खसरा संख्या 1729/1700 के स्थान पर नवीन खसरा संख्या 1774/1729 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 1775/1729 रकबा 25.5413 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम व खसरा संख्या 1776/1729 रकबा 9.0839 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम व मीरोदेवी वगैरह के खसरा संख्या 1700 के स्थान पर नवीन खसरा संख्या 1768/1700 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु रास्ता, खसरा संख्या 1769/1700 रकबा 33.5149 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम खसरा संख्या 1770/1700 रकबा 1.3692 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम कायम किया गया जो जमाबंदी में सही दर्ज हुआ परन्तु लट्ठा ट्रेस से भिन्न दौराने सेग्रीगेशन अशुद्ध भू–नक्शा मौके पर अशुद्ध परिशिष्ट ''अ'' अनुसार कायम किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:14:05 IST
Reason: SelfAttested

अशुद्ध तरमीम के खसरा संख्या 1768/1700 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर शुद्ध खसरा संख्या 1774/1729 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 1769/1700 रकबा 33.5149 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम के स्थान पर खसरा नंबर 1775/1729 रकबा 33.3531 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, खसरा संख्या 1770/1700 रकबा 1.3692 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के स्थान पर शुद्ध खसरा संख्या 1776/1729 रकबा 1.3692 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं अशुद्ध खसरा संख्या 1776/1729 रकबा 9.0839 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम के स्थान पर खसरा संख्या 1770/1700 रकबा 9.

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

.0839 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 1774/1729 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर खसरा संख्या 1768/1700 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म गै.मु रास्ता एवं खसरा संख्या 1775/1729 रकबा 25.5413 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के स्थान पर खसरा संख्या 1769/1700 रकबा 25.7031 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम को परिशिष्ट "ब" के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के मौजा रामपुरा पटवार हल्का बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1768/1700 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या, 1769/1700 रकबा 33.5149 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, खसरा संख्या 1770/1700 रकबा 1.3692 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 1776/1729 रकबा 9.0839 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, खसरा संख्या 1774/1729 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म गै. मु. रास्ता, खसरा संख्या 1775/1729 रकबा 25.5413 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की भूमि की लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट "ब" को प्रार्थीगण की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा पटवार हल्का बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1768/1700 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या, 1769/1700 रकबा 33.5149 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, खसरा संख्या 1770/1700 रकबा 1.3692 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 1776/1729 रकबा 9.0839 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, खसरा संख्या 1774/1729 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 1775/1729 रकबा 25.5413 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की भूमि की लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाटाडू तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:14:05 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को खुले आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर